न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/86/2014 वाद — दायर दिनांक 07.05.2014

उनवान

1. भवानी शंकर पिता सालिगराम जाति स्वर्णकार (सोनी) निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ मृत्तक के बजायः—
   1/1 अंकित पुत्र भवानीशंकर जाति सोनी आयु वयस्क निवासी कपासन।
   1/2 आशिष पुत्र भवानीशंकर जाति सोनी आयु वयस्क निवासी कपासन।
   1/3 संध्या पुत्री भवानीशंकर जाति सोनी आयु वयस्क निवासी कपासन।
   1/4 मंजूदेवी पत्नी भवानीशंकर जाति सोनी आयु वयस्क निवासी कपासन।
2. नन्दकिशोर पिता सालिगराम जाति सोनी आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. घनश्याम पिता सालिगराम जाति सोनी आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. राजेन्द्रकुमार पिता जयलाल जाति बोहरा, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. ललिता पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति बोहरा, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. पुष्पलता पुत्री जयलाल जाति बोहरा, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. चेतना पुत्री जयलाल जाति बोहरा, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. अनिता पुत्री जयलाल जाति बोहरा, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. आशा पुत्री ओमप्रकाश जाति बोहरा, आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. रिनु पुत्री ओमप्रकाश जाति बोहरा, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. शिवानी पुत्री ओमप्रकाश जाति बोहरा, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. सलोनी पुत्री ओमप्रकाश जाति बोहरा, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. फतहलाल पिता लक्ष्मीलाल जाति सोनी, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
11. नटवर पिता लक्ष्मीलाल जाति सोनी, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
12. माला पुत्री लक्ष्मीलाल जाति सोनी, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
13. ... ली आबीद अली जाति बोहरा, आयु वयस्क ... कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. भूमि... तहसीलदार, कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:42 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच —वादीगण

एकतरफा —प्रतिवादी

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 07.02.2024

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वाके मौजा कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज आराजी नम्बर 6866/1699 मी० रकबा 0.5650 हैक्टर लगानी 33.67 पैसा वादी एवं दर्ज रेवेन्यु रेकार्ड प्रतिवादीगण के सहखातेदारी मे स्थित है जिसमें वादी संख्या 1/1 अंकित पुत्र भवानीशंकर का 79/1356 हिस्सा, वादी संख्या 1/2 आशिष पुत्र भवानीशंकर का 41/452 हिस्सा, वादी संख्या 1/3 संध्या पुत्री भवानीशंकर का 79/1356 हिस्सा, वादी संख्या 1/4 मन्जुदेवी का 79/1356 हिस्सा वादी सं0 2 नन्दकिशोर पुत्र सालिगराम का 30/113 हिस्सा, वादी सं0 3 घनश्याम पुत्र सालिगराम का 30/113 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्रकुमार पुत्र जयलाल का 15/226 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 पुष्पलता पुत्री जयलाल का 5/678, प्रतिवादी सं० 4 चेतना पुत्री जयलाल का 5/678 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 अनिता पुत्री जयलाल 5/678, प्रतिवादी सं0 6, 7, 8, 9 का मृतक पिता ओमप्रकाश पिता रामसुख के बजाय 1/113 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 14 रूबीना पत्नी आबीद अली का 12/113 हिस्सा हाल जमाबन्दी दर्ज रेवेन्यू रेकार्ड है। वादीगण का दर्ज जमाबन्दी अपना हिस्सा एक साथ जूज है, इसी के साथ खरीद का हिस्सा भी जूज है। प्रतिवादी सं0 13 प्रेमदेवी पत्नी लक्ष्मीलाल भी फोत हो गई जिससे नाम हटाना है।

यह कि वाद उल्लेखित आराजीयात हिस्सा प्रतिवादी सं० 10 फतेहलाल, 11 नटवर, 12 माला पिता लक्ष्मीलाल जी स्वर्णकार ने आराजीयात निहित अपना हिस्सा कुलिया दिनांक 31/12/2021 को वादी सं0 1/2 आशिष पिता भवानीशंकर, वादी संख्या 2 नन्दकिशोर पिता सालीगराम व वादी संख्या 3 घनश्याम पिता सालिगराम सोनी को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया और उक्त हिस्सा हाल जमाबन्दी खाता संख्या 1452 से खरीद हिस्सा आराजी संख्या 6866/1699 रकबा 0.5650 हैक्टर मे खातेदारान के नाम अंकित होकर प्रतिवादी बेचवाल के नाम विलोपित हुए है। इस प्रकार अब वादी संख्या 1/2 के हिस्सा 41 बटा 452, वादी संख्या 2 नन्दकिशोर के 30 बटा 113 व वादी संख्या 3 घनश्याम के 30 बटा 113 हिस्सा दर्ज रेवेन्यू रेकार्ड है और प्रतिवादी संख्या 10, 11, 12 का नाम हिस्सा विक्रय कर दिये जाने से वाद से हटाना है। वादीगण को दर्ज रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी आराजीयात हिस्सा को आबादान करने सम्परिवर्तन कराने मे बंटवाडे की जरूरत हैं। वादीगण दर्ज आराजी जैरबहस अपना उक्त हिस्सा बंटवाड़ा मौके कब्जे अनुसार अलग कराने की प्रार्थना करते है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं० 10 लगायत 12 से जो हिस्सा खरीदा उक्त खरीद हिस्सा वर्तमान में वादी के मौके कब्जे से काबिज हिस्से से सटमा है जो वादीगण के पूर्व के हिस्से में मर्ज हुआ है जिसे साथ मिलाते हुए मौके व कब्जे अनुसार बंटवाडे की प्रार्थना है।

यह कि प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्सा पर अन्दाज आसरे से काबीज है कानून से हिस्सा किश्म सम्परिवर्तन हेतू बंटवाड़ा जरूरी है जिसके लिये प्रति[illegible] सहखातेदारों को वादीगण ने मौखिक निवेदन किया तो कहा कि हमें समय नहीं है तुम्हारा हिस्सा बंटवाड़ा अलग से करा दो ज्यादा करोगे तो सामील लगान अदा नहीं करेंगे कह कर दिनांक 01/03/2014 को विवाद किया जिससे बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 01/03/2014 से निरन्तर जारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:42 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्त में वादीगण की प्रार्थना है कि –

– यह कि बंटवाडा आराजी डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमावे की ग्राम कपासन के हल्के बैरूनी की आराजी सं0 6866/1699 रकबा 0.5650 हैक्टेयर निहित वादीगण का वादी संख्या 1/1 अंकित पुत्र भवानीशंकर का 79/1356 हिस्सा, वादी संख्या 1/2 आशिष पुत्र भवानीशंकर का 41/452 हिस्सा, वादी संख्या 1/3 संध्या पुत्री भवानीशंकर का 79/1356 हिस्सा, वादी संख्या 1/4 मन्जुदेवी का 79/1356 हिस्सा व वादी सं0 2 नन्दकिशोर पुत्र सालिगराम का 30/113 हिस्सा, वादी सं0 3 घनश्याम पुत्र सालिगराम का 30/113 हिस्सा है जो एक साथ जूज मौके कब्जे अनुसार है का बंटवाड़ा सादर फरमावें । शेष हिस्सा दर्ज रेवेन्यू रेकार्ड जमाबन्दी प्रतिवादीगण खातेदारान के नाम रखावे ।

– कि हर्जा खर्चा मुकदमा व अन्य मुफिद दाद जो वादीगण हो दिलावें ।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से दिनांक 15.02.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 10, 11, 12 के विरूद्ध दिनांक 27.04.2017 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। व प्रतिवादी संख्या 13 फौत होने से नाम डिलिट किया गया। साथ ही दिनांक 27.04.2017 को वाद पत्र प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। उक्त के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 10 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर प्राथमिक निर्णय पर सुनवाई हेतु पुनः निवेदन किया जिस पर पुनः दिनांक 12.08.2022 को प्रार्थना पत्र ड्राप का निवेदन इस आशय से किया कि मेरा नाम से दर्ज आराजीयात मैंने वादी संख्या 1/2, 2, 3 को बेचान कर दी है, साथ ही प्रतिवादी संख्या 11, 12 का हिस्सा भी वादीगण द्वारा क्रय कर लिया जाने से संशोधित प्राथमिक डिक्री व निर्णय का निवेदन किया जिस पर दिनांक 14.12.2022 को संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी की गयी। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा दिनांक 08.01.2024 को बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी जाकर आज दिनांक 07.02.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की वाके मौजा कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज आराजी नम्बर 6866/1699 मी० रकबा 0.5650 हैक्टर स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 08.01.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. अंकित पुत्र भवानीशंकर हिस्सा 329/4500, आशीष पुत्र भवानीशंकर हिस्सा 513/4500, घनश्याम पुत्र शालिगराम हिस्सा 1/3, नंदकिशोर पुत्र शालिगराम हिस्सा 1/3, मंजूदेवी पत्नी भवानीशंकर हिस्सा 329/4500, संध्या पुत्री भवानीशंकर हिस्सा 329/4500 जाति सोनी सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	6866/1699 मी0	0.45	चाही 1
योग	कुल किता–01	0.45	

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:42 IST
Reason: SelfAttested

2. अनीता पुत्री जयलाल हिस्सा 5/138 जाति नंदवाना, ओमप्रकाश पुत्र रामसुख हिस्सा 50/1150 जाति नंदवाना, [illegible] पुत्री जयलाल हिस्सा 5/138 जाति नंदवाना, पुष्पलता पुत्री जयलाल हिस्सा 5/138 जाति नंदवाना, रूबीना बाई पत्नि आबीद अली हिस्सा

600/1150 जाति दाऊदी, राजेन्द्र कुमार पुत्र जयलाल हिस्सा 375/1150 जाति नंदवाना सा0देह0 खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	6866/1699/1	0.1150	चाही 1
योग	कुल किता– 01	0.1150	

तदनुसार अंकन हो। यदि रहन हो तो बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:42 IST
Reason: SelfAttested